



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122020-224001
CG-DL-E-29122020-224001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4158]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2020/पौष 8, 1942

No. 4158]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2020/PAUSHA 8, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2020

सं. 51 / 2015-2020

विषय : आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 के अध्याय 10 अनुसूची-2, क्रम सं. 55 और 57 की नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 4741(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के साथ पठित यथा—संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा चावल (बासमती और गैर-बासमती) के निर्यात हेतु आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची-2 की क्रम सं. 55 और 57 पर नीतिगत शर्त को संशोधित करने वाली दिनांक 10.08.2020 की अधिसूचना सं. 24 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. अध्याय 10 में क्रम सं. 55 और 57 की मौजूदा प्रविष्टियों में निम्नलिखित नीतिगत शर्त को संशोधित किया जाएगा :

क्र.सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रस्तावित संशोधित नीतिगत शर्त
55	1006 2000 1006 30 1006 3010 1006 3090	गैर-बासमती चावल	मुक्त	यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है।

	1006 40 00			निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र शेष यूरोपीय देशों को किए जाने वाले निर्यात हेतु दिनांक 1 जुलाई, 2021 से अनिवार्य होगा।
57	1006 30 20	बासमती चावल (डीहस्कड ब्राउन), सेमीमिल्ड, मिल्ड दोनों पारब्यायल्ड अथवा रॉ कन्डिशन में)	मुक्त	- यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निर्यात प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है। - निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र शेष यूरोपीय देशों को किए जाने वाले निर्यात हेतु दिनांक 1 जुलाई, 2021 से अनिवार्य होगा।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव: मौजूदा अधिसूचना सं. 24/2015-20 दिनांक 10.08.2020 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि केवल यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और अन्य यूरोपीय देशों नामतः आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को चावल (बासमती और गैर-बासमती) का निर्यात करने के लिए ईआईए/ईआईसी से निरीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। 1 जुलाई, 2021 से शेष यूरोपीय देशों (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को छोड़कर) को निर्यात करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण से निरीक्षण प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा।

[फा. सं. 01/91/171/148/एम-21/ईसी (ई-18755)]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December 2020

No. 51/2015-2020

Subject : Amendment in Policy condition of Sl. No. 55 & 57, Chapter 10 Schedule-2, ITC(HS) Export Policy, 2018-reg.

S.O. 4741(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended read with para 1.02 and Para 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment to the **Notification No. 24 dated 10.08.2020** amending the policy condition at Sl. No. 55 and 57, Schedule 2 of ITC (HS) Export Policy, 2018 for export of rice (Basmati and Non-Basmati).

2. The following policy conditions shall be amended to the existing entries of Chapter 10 at Sl. No. 55 and 57:-

Sl.No.	Tariff item HS code	Item Description	Export Policy	Proposed Amended Policy Condition
55	1006 2000 1006 30 1006 3010 1006 3090 1006 40 00	Non-Basmati Rice	Free	- Export to EU Member States and European countries namely Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland permitted subject to issuance of Certificate of Inspection by Export Inspection Council /Export Inspection Agency'. - Certificate of Inspection by Export Inspection Council/ Export Inspections Agency shall be mandatory for export to remaining European countries with effect from 1st July, 2021.

57	1006 3020	Basmati Rice (Dehusked (Brown), semi-milled, milled both in either par-boiled or raw condition.	Free	- Export to EU Member States and European countries namely Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland permitted subject to issuance of Certificate of Inspection by Export Inspection Council / Export Inspection Agency. - Certificate of Inspection by Export Inspection Council/ Export Inspections Agency shall be mandatory for export to remaining European countries with effect from <u>1st July, 2021.</u>
----	-----------	---	------	--

3. **Effect of notification:**

The Notification No. 24/2015-2020 dated 10.08.2020 is amended to the extent that export of Rice (Basmati and Non-Basmati) to EU member states and other European Countries namely Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland only will require Certificate of Inspection from EIA/EIC. Export to remaining European countries (except Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) will require Certificate of Inspection by Export Inspection Council/Export Inspection Agency for export from 1st July, 2021.

[F. No. 01/91/171/148/AM21/EC(E18755)]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.